

**न्यायालय नायब तहसीलदार बुधना जिला मुम्बई (राज्य)**

सुक्रमा  
०१/२०२०

क्रियम मुक्रमा  
घारा ३१ एल और एक्ट

एवमु दिनांक  
२५.०६.२०२०

निर्णय दिनांक  
२४.०७.२०२०

अमरावत सरकार अनाम कसूत जिला इन्दाज जालि अतिर निवासी साहज तहसील  
बुधना जिला मुम्बई (राज्य)

निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुसंधित। पत्रावली का अन्वेषण किया गया। सामग्री संश्लेषित से हुआ प्रकार है। पत्रावली इन्दाज आन्वी अतिर से सन्वत २०११ में हुआ आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राज्य साहज की राजकीय भूमि में १० एकड़ का २०९ साल रकमा ३१.६० हे० से भी ३१५ हे० पर अतिक्रमी कसूत जिला इन्दाज जालि अतिर निवासी साहज ने अधिप रूप से तारबाड़ व जेत लगाकर अधिप रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पत्रावली इन्दाज से प्राप्त होने पर साहज दार्ज अतिर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्वाम भूरा राजस्व अधिनियम १९६६ की धारा ३१ के तहत नोटिस जारी किया जाकर उत्तर किया गया। नोटिस प्राप्त पर अतिक्रमी अनुसंधित। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लयी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साहज/समुत का पत्रावली से स्पष्ट किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काचित निरूपण नहीं है। न ही निवासी के अनुकूल है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में तारबाड़ व जेत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी अधिप किया जाता है व और बरत रिपोर्ट पत्रावली पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिने जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अधिप रूप से तारबाड़ व जेत लगाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप साहज लगान १६०/- का अतिक्रमण मुदा भूमि लगान १.०० की ५० गुणा जुर्माना धरि ५०/- का और धरि कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भूरा आ विरीलक/पत्रावली इन्दाज को दाले जल कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जाये। भूरा आ विरीलक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जाये। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल वपतर हो तथा नम्बर सुधार से कम होकर दार्ज फैसला ही।

निर्णय आज दिनांक २४.०७.२०२० को सुते न्यायालय सुन्वया में सुन्वया गया।

(नायबी-नायब न्याय)

नायब तहसीलदार बुधना

स.ले. सं. ४ धरि २५.०६.२० को पृ. सं. ७६  
पर २५.०६.२० को मां. जल वी धरि।

*Suman*  
तहसील राजस्व लेखाकार  
तहसील बुधना